औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

16 **श्री लोकनाथ मिश्र :**
डा० भाई महावीर :
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी :
श्री एन० जी० गोरे :
श्री गोडे मुराहरि :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में कितने और कितनी राशि के औद्योगिक लाइसेन्स जारी किये गये ।

(ख) पिछले दो वर्षों के इन्हीं महीनों में कितने लायसेन्स जारी किये गये थे ।

(ग) क्या छोटी कार बनाने के लिए लाइसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ।

(घ) क्या इस अवधि में किसी 'बिग बिजनेस हाउस' को कोई लाइसेन्स दिया गया है और

(ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†[ISSUE OF INDUSTRIAL LICENCES

16. SHRI LOKANATH MISRA:
DR. BHAI MAHAVIR:
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:
SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE:
SHRI N. G. GORAY:
SHRI GODEY MURAHARI:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state:

(a) the number and value of industrial licences issued during the last three months;

(b) the number of licences issued during the corresponding period in the last two years;

(c) whether any decision has been taken regarding the issue of licences for the manufacture of small cars;

(d) whether any licence has been issued to any 'big business house' during this period; and

(e) if so, the details thereof?]

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइन-उल-हक चौधरी) : (क) 1 जनवरी, 1971 से 10 मार्च, 1971 तक की अवधि में, "काम चालू रखने वाले" लाइसेंसों के अतिरिक्त 59 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं । यह बता देना आवश्यक है कि औद्योगिक लाइसेंस सामान्य रूप से पहले दिये गये, आशय पत्र के बदले में जारी किये गये आशय पत्रों की शर्तें पूरी हो जाती हैं, दिये जाते हैं । सिवाय "काम चालू रखने वाले" उन लाइसेंसों के जो ऐसे मामलों से संबंधित होते हैं, जहां उपक्रम स्थापित किये गये थे अथवा उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये गये थे, अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में संबंधित औद्योगिक एकक जिन पर से पहले नियन्त्रण हटा दिया गया था किन्तु 18 फरवरी, 1970 की नई लाइसेंस नीति लागू हो जाने के कारण फिर लाइसेंस अधीन आ गये हैं । लाइसेंस सामान्यतया निर्माण के लिए स्वीकृत वस्तुओं के लिए विशिष्ट क्षमताओं हेतु दिये जाते हैं न कि विशिष्ट मूल्यों के लिए ।

(ख) वर्ष 1969 तथा 1970 के प्रथम तीन महीनों में जारी किये गये ऐसे लाइसेंसों की संख्या ("काम चालू रखने वाले" लाइसेंसों को छोड़कर) नीचे दी गई हैं:—

वर्ष	लाइसेंसों की संख्या
1969 . .	57
1970 . .	47

(ग) छोटी कार बनाने के लिए हाल ही में दो आशय पत्र जारी किये गये हैं । इन आशय पत्रों में से किसी को औद्योगिक लाइसेंस में बदले के प्रश्न पर तभी विचार किया जायगा जबकि आशय पत्रों में दी गई शर्तें सरकार की संतुष्टि के मुताबिक पूरी की गई हों ।

† [ ] English translation.

(घ) तथा (ङ) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित लाइसेंसों में से 4 लाइसेंस (काम चालू रखने वाले लाइसेंसों के अलावा) ऐसी फर्मों को दिये गये हैं जो या तो बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित हैं अथवा उनके नियन्त्रण में हैं। सभी लाइसेंसों के विस्तृत ब्यौरे समय-समय पर दि वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इंपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, वीकली इंडिया ट्रेड जर्नल एण्ड मंथली जर्नल आफ इंडस्ट्रिकल ट्रेड में प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां ससद के पुस्तकालय में भेज दी जाती हैं।

†[THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY): (a) During the period from 1st January, 1971 to 10th March, 1971, 59 industrial licences have been issued, apart from 'Carry-on-Business licences.' It needs to be clarified that industrial licences are normally issued in the form of conversion of earlier letters of intent, once the conditions of the earlier letters of intent are fulfilled, except for 'Carry-on-Business' licences, which relate to cases where undertakings had been established or 'effective steps' had been taken to set up the undertaking or industrial unit concerned in industrial sectors which were formerly delicensed but which came within the fold of licensing consequent on the new licensing policy coming into force from 18th February, 1970. Licences are usually issued for specific capacities in respect of the approved items of manufacture and not for specific values.

(b) The number of similar licences (other than 'Carry on-Business' licences) issued during the first three months of 1969 and 1970 is given below:—

Year	Number of licences
1969	57
1970	47

(c) Two letters of intent have recently been issued for manufacture of a small car. The question of converting any of these letters of intent into industrial licences will be considered after the conditions stipulated in the letters of intent have been fulfilled to the satisfaction of Government.

(d) and (e) Out of the licences mentioned (a) above 4 licences (other than Carry-on-Business licences) have been issued to concerns belonging to or controlled by the Larger Industrial Houses. Details of all licences are published from time to time in the Weekly Bulletin of industrial licences, Import Licences and Export Licences, Weekly Indian Trade Journal and the Monthly Journal of Industry and Trade. Copies of these publications are supplied to the Parliament Library.]

† [ ] English translation.

RAILWAY CONCESSIONS TO FOREIGN TOURISTS

17. SHRI SUNDAR MANI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any concessions are being given by the Railways to attract foreign tourists; and

(b) whether such concessions are publicised abroad, and if so, whether there is any co-ordination between the Railways and the Department of Tourism in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA): (a) Yes. A statement is attached.

(b) There is co-ordination. The concessions are publicised abroad by the Department of Tourism, Government of India.

STATEMENT

At present, the following concessions are allowed by the railways to overseas tourists visiting India:—

(i) 15% concession in fares for travel in Air-conditioned class.

(ii) "Travel As You Like" Tickets on a lumpsum payment of Rs. 806. These entitle the holders to travel for 30 days in Air-conditioned class